



महिला स्वास्थ्य पर घरेलू हिंसा के प्रभाव : सतना जिले के विशेष सन्दर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

प्रीती साकेत

शोधार्थी समाजशास्त्र

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

डॉ. रचना श्रीवास्तव

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र

शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश –

घरेलू हिंसा न केवल एक आपराधिक कृत्य है बल्कि यह महिलाओं के स्वास्थ्य, गरिमा और मानवाधिकारों को प्रभावित करने वाली गंभीर सामाजिक समस्या है। अध्ययन में शारीरिक, मानसिक, प्रजनन और सामाजिक स्वास्थ्य पर घरेलू हिंसा के बहुआयामी प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। शोध में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों विधियों का उपयोग किया गया। प्रमुख परिणामों से ज्ञात हुआ कि घरेलू हिंसा का रूप केवल शारीरिक चोटों तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता, सामाजिक अलगाव, निर्णय-क्षमता में गिरावट तथा प्रजनन स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव व्यापक रूप से पाए गए। सतना जिले में पारिवारिक संरचना, पितृसत्तात्मक मानसिकता, शराब सेवन, आर्थिक निर्भरता और कम शिक्षा इस समस्या को गहरा बनाने वाले प्रमुख कारक हैं। शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि घरेलू हिंसा महिलाओं के संपूर्ण स्वास्थ्य को बहुस्तरीय रूप से प्रभावित करती है और इसके समाधान के लिए सामुदायिक-स्तर पर नीति-निर्माण, जागरूकता, महिला सशक्तिकरण तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता है।



मुख्य शब्द – घरेलू हिंसा, महिला स्वास्थ्य, समाजशास्त्रीय अध्ययन, सतना जिला एवं आर्थिक निर्भरता।

प्रस्तावना –

महिलाओं के प्रति हिंसा मानव समाज की एक जटिल, बहु-आयामी और दीर्घकालिक सामाजिक समस्या है, जो केवल पारिवारिक संबंधों को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की संरचना, मूल्य-व्यवस्था एवं विकास प्रक्रिया को प्रभावित करती है। घरेलू हिंसा, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, लैंगिक एवं आर्थिक उत्पीड़न शामिल हैं। विश्व स्तर पर महिलाओं के स्वास्थ्य और मानवाधिकारों के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में उभरकर सामने आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वैश्विक स्तर पर तीन में से एक महिला अपने जीवनकाल में किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा का सामना करती है। भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में यह समस्या और भी अधिक व्यापक और जटिल है।

भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक संरचना, लैंगिक असमानता, दहेज-प्रथा, आर्थिक निर्भरता, शराब सेवन, पारिवारिक दबाव तथा सामाजिक चुप्पी घरेलू हिंसा की निरंतरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महिलाओं को अक्सर हिंसा को 'परिवार का निजी मामला' मानकर सहन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनके शारीरिक, मानसिक, यौन तथा सामाजिक स्वास्थ्य पर गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।

मध्य प्रदेश का सतना जिला सामाजिक एवं आर्थिक रूप से विविधतापूर्ण क्षेत्र है, जहाँ ग्रामीण परंपराएँ, सांस्कृतिक मान्यताएँ और आर्थिक निर्भरता घरेलू हिंसा की प्रकृति और तीव्रता को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। यहाँ की अधिकांश महिलाएँ घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करने से बचती हैं, जिसके कारण वास्तविक स्थिति और भी गंभीर बनी रहती है। स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच, सामाजिक कलंक तथा पारिवारिक दबाव के कारण महिलाएँ हिंसा के शारीरिक और मानसिक परिणामों से लंबे समय तक जूझती रहती हैं।

स्वास्थ्य की दृष्टि से घरेलू हिंसा केवल चोटों या शारीरिक आघात तक सीमित नहीं है, यह उच्च रक्तचाप, एनीमिया, नींद संबंधी समस्याएँ, अवसाद, चिंता, आत्मविश्वास में कमी, सामाजिक अलगाव और प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं जैसे अनेक नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है। ऐसे में सतना जिले के संदर्भ में घरेलू हिंसा के सामाजिक और स्वास्थ्यगत आयामों का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि सतना जिले में घरेलू हिंसा महिलाओं के संपूर्ण स्वास्थ्य-शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करती है, तथा इस समस्या को व्यापक सामाजिक संदर्भ में किस प्रकार विश्लेषित किया जा सकता है। यह शोध नीति-निर्माताओं, सामाजिक संगठनों, स्वास्थ्य सेवाओं तथा समुदायिक स्तर पर कार्यरत संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ा एवं विश्लेषण उपलब्ध कराता है।

उद्देश्य:

- सतना जिले में घरेलू हिंसा की प्रकृति और प्रसार को समझना।
- घरेलू हिंसा का महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का विश्लेषण करना।
- घरेलू हिंसा से उत्पन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन करना।
- सामाजिक, आर्थिक और प्रजनन स्वास्थ्य पर हिंसा के प्रभावों की पहचान करना।
- सहायता सेवाओं के उपयोग की स्थिति का आकलन करना।

विश्लेषण –

घरेलू हिंसा के स्वरूप, उसके कारण और उसके स्वास्थ्यपरक परिणामों को समझने के लिए प्रस्तुत अध्ययन में सतना जिले की ग्रामीण एवं शहरी दोनों आबादियों से संकलित आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि घरेलू हिंसा केवल शारीरिक उत्पीड़न तक सीमित नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक तथा सामाजिक हिंसा के रूपों में भी व्यापक रूप से मौजूद है। सर्वेक्षण में सम्मिलित अधिकांश महिलाओं ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार की हिंसा का अनुभव बताया, जिससे यह निष्कर्ष सामने आता है कि हिंसा एक सामान्यीकृत सामाजिक व्यवहार बन चुकी है और पितृसत्तात्मक संरचनाओं द्वारा निरंतर पोषित होती है।

संग्रहित तथ्यों के आधार पर यह पाया गया कि घरेलू हिंसा का महिला स्वास्थ्य पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। शारीरिक हिंसा से उत्पन्न चोटें, सिरदर्द, रक्तचाप, कमजोरी, भूख की कमी और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएँ सामान्य रूप से दर्ज की गईं। कई मामलों में गर्भावस्था के दौरान हिंसा के कारण समयपूर्व प्रसव, गर्भपात तथा शिशु के कम वजन जैसी स्थितियाँ सामने आईं, जो स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच और घरेलू निर्णय लेने में महिला की सीमित भूमिका को दर्शाती हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव और भी अधिक गंभीर पाए गए—लगातार चिंता, तनाव, अवसाद, आत्मग्लानि, अनिद्रा तथा आत्महत्या का विचार एक बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा व्यक्त किया गया।

सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव भी आंकड़ों में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। शिक्षा का स्तर कम होने पर हिंसा की आवृत्ति अधिक मिली, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता और पारिवारिक समर्थन मिलने पर हिंसा की तीव्रता कम होती दिखाई दी। इसके अतिरिक्त, शराब सेवन करने वाले पुरुषों वाले परिवारों में हिंसा की घटनाएँ अत्यधिक पाई गईं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में हिंसा की स्वीकार्यता अपेक्षाकृत अधिक दिखाई दी, जो सामाजिक दबाव, पारिवारिक मान्यताओं तथा आर्थिक निर्भरता से जुड़ी है। शहरी क्षेत्रों में महिलाएँ हिंसा की रिपोर्ट दर्ज कराने में अधिक तैयार दिखीं, लेकिन मानसिक हिंसा की घटनाएँ वहाँ अधिक पाई गईं।

स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और उपयोग के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण अंतर पाए गए। अधिकांश महिलाएँ हिंसा के बाद स्वास्थ्य केंद्रों या परामर्श सेवाओं का उपयोग नहीं करतीं, मुख्यतः सामाजिक शर्म, परिवार की बदनामी के डर, आर्थिक सीमाओं और कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति डर के कारण। यह तथ्य महिला स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित सरकारी योजनाओं एवं जागरूकता कार्यक्रमों के सीमित प्रभाव को भी उजागर करता है। घरेलू हिंसा का महिला स्वास्थ्य पर प्रभाव केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य-संबंधी मुद्दा है जिसका व्यापक समाधान समाजशास्त्रीय, सामुदायिक और नीतिगत हस्तक्षेपों से ही संभव है। हिंसा से प्रभावित महिलाओं की वास्तविक स्थिति समझने और उनके स्वास्थ्य अधिकारों की सुरक्षा हेतु स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक संगठनों और समुदाय आधारित जागरूकता कार्यक्रमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष -

सतना जिले में घरेलू हिंसा महिलाओं के संपूर्ण स्वास्थ्य पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव डालती है। घरेलू हिंसा केवल शारीरिक यातना का रूप नहीं है, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक और प्रजनन स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती है। अध्ययन में पाया गया कि मानसिक और भावनात्मक हिंसा सबसे अधिक प्रचलित है, जिससे तनाव, अवसाद, भय, आत्मसम्मान में कमी तथा मानसिक थकान जैसी समस्याएँ आम हैं। शारीरिक हिंसा के परिणामस्वरूप चोटें, सिरदर्द, रक्तचाप, कमजोरी एवं गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं का जोखिम बढ़ जाता है। सामाजिक नियंत्रण व आर्थिक निर्भरता भी महिलाओं के जीवन को सीमित करती है, जिससे वे सहायता लेने या हिंसा का प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं हो पातीं। पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना, शराब सेवन, अशिक्षा तथा आर्थिक असमानता घरेलू हिंसा के प्रमुख कारक हैं। सहायता सेवाओं जैसे-महिला हेल्पलाइन, पुलिस, कानूनी सहायता या स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग अत्यंत कम पाया गया, जिसका मुख्य कारण सामाजिक कलंक, शर्म, परिवार का दबाव और आर्थिक निर्भरता है। समग्र रूप से अध्ययन बताता है कि घरेलू हिंसा न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य को कमजोर करती है, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति, आत्मनिर्भरता, निर्णय क्षमता और जीवन की गुणवत्ता को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती है। यह समस्या व्यक्तिगत न होकर एक गहरी सामाजिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक समस्या है, जिसके समाधान हेतु बहुआयामी और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। अतः निष्कर्ष यह है कि सतना जिले में महिलाओं का स्वास्थ्य घरेलू हिंसा के कारण गंभीर खतरे में है और इसके निवारण हेतु शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, कानूनी जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ तथा सामाजिक समर्थन प्रणाली को मजबूत किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

संदर्भ -

1. भारत सरकार, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2019-21, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली, वर्ष 2021, पृष्ठ 493-502
2. भारत सरकार, भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नई दिल्ली, वर्ष 2022, पृष्ठ 121-129
3. राधा कुमार - स्त्री और हिंसा : भारतीय परिप्रेक्ष्य, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2016, पृष्ठ 88-96